

No. 72(E), dated 10.02.2010, G.S.R. No.102 (E), dated 25.2.2010, G.S.R. No. 191(E), dated 12.03.2010, G.S.R. No. 298(E), dated 08.04.2010, G.S.R. No. 397(E), dated 11.05.2010, G.S.R. No. 404(E), dated 13.05.2010, G.S.R. No. 413(E), dated 17.05.2010, G.S.R. No. 432(E), dated 20.05.2010, G.S.R. No. 434(E), dated 20.05.2010, G.S.R. No. 451(E), dated 26.05.2010, G.S.R. No. 689(E), dated 19.08.2010, G.S.R. No. 836(E), dated 13.10.2010, G.S.R. No. 899(E), dated 09.11.2010, G.S.R. No. 954(E), dated 06.12.2010, G.S.R. No. 920(E), dated 30.12.2011, G.S.R. No. 922(E), dated 30.12.2011 G.S.R. No. 94(E), dated 16.02.2012, G.S.R. No. 115(E), dated 28.03.2012, G.S.R. No. 325(E), dated 26.04.2012, G.S.R. No. 941(E), dated 28.12.2012, G.S.R. No. 55(E), dated 31.01.2013, G.S.R. No. 104(E), dated 18.02.2013, G.S.R. No. 602(E), dated 06.09.2013 and G.S.R. No. 604(E), dated 06.09.2013.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 46(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियमावली, 2014 होगा ।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "बिहार" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

### “बिहार

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ इयूटी पद	186
मुख्य सचिव	1
अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व बोर्ड	1
विकास आयुक्त	1
कृषि उत्पादन आयुक्त	1
मुख्य सलाहकार, बिहार राज्य योजना बोर्ड	1
प्रधान सचिव(वित्त)	1
प्रधान सचिव(गृह)	1
प्रधान सचिव, सतर्कता विभाग	1
प्रधान सचिव, जल संसाधन	1
प्रधान सचिव, राजस्व और भूमि सुधार	1
प्रधान सचिव, उद्योग	1
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग	1
प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग-सह-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार	1

प्रधान सचिव, सड़क निर्माण विभाग	1
महानिदेशक, बिहार लोक प्रशास और ग्रामीण विकास, पटना संस्थान	1
प्रधान निवासी आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली	1
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	1
प्रधान सचिव, जीएडी	1
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग	1
अध्यक्ष, बिहार चयन आयोग	1
विभागीय जांच आयुक्त, जीएडी	1
राज्यपाल के प्रधान सचिव	1
प्रधान सचिव	8
सरकार के सचिव	23
सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग	1
सचिव, संसदीय कार्य विभाग	1
सचिव, कृषि विभाग	1
सलाहकार, बिहार राज्य योजना बोर्ड	1
निवासी आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली	1
सदस्य, राजस्व बोर्ड	1
राज्यपाल के सचिव	1
मुख्य मंत्री के सचिव	1
सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1
सचिव, ऊर्जा विभाग	1

प्रभागीय आयुक्त	9
सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1
सचिव, भवन निर्माण विभाग	1
सचिव, पीएचई विभाग	1
लोकायुक्त के सचिव	1
सचिव, पंजीयक, उत्पाद-शुल्क और निषेध विभाग	1
सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय	1
आईजी कारावास	1
परियोजना निदेशक, बिहार एड्स समिति	1
राजस्व बोर्ड के अपर सदस्य	1
विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव	40
जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर/अपर डीएम	38
पंजीयक, सहकारी समितियां	1
सचिव, राजस्व बोर्ड	1
राज्य परिवहन आयुक्त	1

	श्रम आयुक्त	1
	गन्ना आयुक्त	1
	सीईओ सह नगरपालिका आयुक्त, पटना नगर निगम	1
	आयुक्त, एमएनआरईजीए	1
	उत्पाद-शुल्क आयुक्त-सह-आईजी पंजीकरण	1
	निदेशक	19
<b>1.</b>	<b>कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद</b>	<b>186</b>
<b>2.</b>	सीडीआर उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	74
<b>3.</b>	एसडीआर उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	46
<b>4.</b>	टीआर उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	6
<b>5.</b>	एलआर और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	30

<b>6.</b>	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	104
<b>7.</b>	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5-6)	238
	<b>कुल प्राधिकृत पद संख्या</b>	<b>342</b>

[सं.11031/9/2013-अ.भा.से.-II(क)"]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी (1):—इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, बिहार संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 326 थी।

टिप्पणी (2):—मुख्य विनियम दिनांक 22.10.1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, ये बिहार संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि.संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :

क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	तिथि	क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	तिथि
1	3059	12.12.56	11	342(अ)	29.03.94
2	481	30.04.60	12	319(अ)	31.03.95
3	1147	14.08.65	13	739(अ)	31.12.97
4	349	16.03.67	14	209	31.10.98
5	375(अ)	26.08.71	15	429	18.12.04
6	60(अ)	31.01.75	16	170(अ)	02.03.07
7	649(अ)	27.11.79	17	279(अ)	10.04.07
8	106	02.02.85	18	898(अ)	30.12.2008
9	1007	31.12.88	19	188(अ)	24.03.2009
10	393	30.06.90			

295 GI/14-5